राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक: एफ.1(6)(3)स्था / ICDS / Ntt / 14 / 17891-923 जयपुर,दिनांक: 29-1-18

समस्त उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

विषय : टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को गैरटीएसपी क्षेत्र मे कार्यग्रहण करने पर वेतन भुगतान के संबंध में।
प्रसंग : पूर्व पत्र कमांक 159318–351 दिनांक 13–10–2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को विभाग द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा, 13 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है एवं इनको दो वर्षीय परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण किये जाने पर नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जा चुकी है।

टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत इन कार्मिकों का पुनः पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2013 में चयनित होने पर पूर्व पदस्थापित स्थान टीएसपी क्षेत्र से कार्यमुक्त होकर नॉनटीएसपी क्षेत्र में कार्यग्रहण करने पर इनको पूर्व में दिया जा रहा वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ (पीएल का नगद भुगतान एवं बोनस) पूर्व की भांति यथावत भुगतान किया जायेगा।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)(3)स्था / ICDS / Ntt / 14 / 17924-18228 जयपुर,दिनांक: 29-1-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1 उपनिदेशक (एसीपी) मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।